36 वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

GEOSCIENCES
THE BASIC SCIENCE
FOR A SUSTAINABLE FUTURE

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस पर वार्षिक प्रतिवेदन

(खान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय)

भारत सरकार

2018-19

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
पृष्ठभूमि	1
वर्ष 2012 में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के सहयोग से बोली लगाना	1
2016 में 36वीं आईजीसी सोसाइटी का सृजन	1
36वीं आई.जी.सी.सोसाइटी की संरचना	2
अध्यक्ष और महासचिव	3
अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का महत्व	3
विभिन्न उपसमितियों के तहत प्रगति	4
द्वितीय परिपत्र का प्रकाशन	6
आउटरीच कार्यक्रम	7
व्यावसायिक सम्मेलन आयोजक का नियोजन	13
बजट	13
अनुबंध-I कार्यालय पदाधिकारियों की सूची	16
अनुबंध-II लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	20

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस पर वार्षिक प्रतिवेदन

(खान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय)

भारत सरकार

2018-19

1.0 पृष्ठभूमि

भारत ने अपने पड़ोसी देशों नामत: बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के सहयोग से वर्ष 2012 में ब्रिसवेन में हुई 34वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस में 36वीं आई.जी.सी. भारत में वर्ष 2020 में आयोजित करने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की, जो मान्य हुई।

भूविज्ञान के ओलंपिक के रूप में विख्यात प्रत्येक चौथे वर्ष होने वाली यह आई.जी.सी. इसके वैज्ञानिक प्रायोजक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस (आई.यू.जी.एस.) के तत्वावधान में आयोजित होती है। यह विश्व का सर्वाधिक दीर्घकालीन और सुप्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक आयोजन है। पहली आई.जी.सी.का आयोजन वर्ष 1878 में पेरिस में हुआ था।

36वीं आई.जी.सी. जिसका मूल विषय : **''भूविज्ञान : सतत भविष्य के लिए आधारभूत विज्ञान''** दिनांक 2-8 मार्च, 2020 के बीच इंडिया एक्पो मार्ट लि., ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाला था। हालांकि, नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने इस आयोजन को बाद की तिथि के लिए स्थगित कर दिया। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आई.एन.एस.ए.) और बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के वैज्ञानिकों ने सहयोग किया है जबकि निधि की व्यवस्था 50:50 आधार पर खान मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस आयोजन के लिए नोडल संगठन है।

2. वर्ष 2012 में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के सहयोग से बोली लगाना

मंत्रीमंडल के निर्णय (26-4-2012) की अनुपालना में भारत ने दावेदारी प्रस्तुत की।
मंत्रीमंडल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार अनुमोदन किया:

(i) दावेदारी प्रस्तुत की जाए और यदि सफल रही तो, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी की जाए।

(ii) इस दावेदारी प्रस्ताव को एक क्षेत्रीय प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पड़ोसी देशों नामत: बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की विज्ञान एवं तकनीकी अकादमियों को समाविष्ट किया जाए। इससे हम इन देशों में हमारे समकक्षों को वैज्ञानिक मुद्दों में सम्मिलित कर सकेंगे एवं परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे। यह अतिरिक्त समर्थन को बढ़ाने में भी मदद करेगा।

3. 2016 में 36वीं आईजीसी सोसाइटी का सृजन

मंत्रीमंडल की 2 मार्च, 2016 को हुई बैठक में किए गए अनुमोदन के आधार पर सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के प्रावधानों अनुसार 27 अप्रैल, 2016 को 36वीं आई.जी.सी. सोसाइटी का ''36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस'' के नाम से सृजन हुआ। अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ सोसाइटी को ''36वीं आई.जी.सी.'' की विधिक, वित्तीय, योजना एवं संगठनिक मुद्दों का पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करने एवं 36वीं आई.जी.सी. के बाद वर्ष 2020 के आगे भी इस क्षेत्र में ''भूविज्ञान के संवर्द्धन व उन्नति के लिए कार्य करने'' हेतु गठित किया गया।

मंत्रीमंडल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया:

i. संगम ज्ञापन (मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन) के अनुसार भारतीय सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के तहत ''36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस'' के नाम से एक सोसाइटी का पंजीकरण कराना एवं वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भारत में 36वीं आई.जी.सी. सफलतापूर्वक आयोजित करना।

ii. सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित वार्षिक आवश्यकतानुसार 36वीं आई.जी.सी. के प्रारंभिक क्रियाकलापों को संपादित करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को खान मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 50:50 आधार पर सोसाइटी के खाते में निधि हस्तांतरित करने की अनुमति देना।

आई.यू.जी.एस., जिसके तत्वावधान में आई.जी.सी. आयोजित की जाती है, के 121 सदस्य देश हैं जो उनकी विज्ञान अकादमियों और भूवैज्ञानिक संगठनों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हैं।

ब्रिसबेन में हुई 34वीं आई.जी.सी. में लगभग 6000 प्रतिभागी आए थे जबकि केपटाउन में हुई 35वीं आई.जी.सी. में लगभग 4000 प्रतिभागी आए थे। 2004 में फ्लोरेंश, इटली में हुई 32वीं आई.जी.सी. में सर्वाधिक 7000 से अधिक की उपस्थिति रही। 36वीं आई.जी.सी. में विश्वभर से लगभग 6000 भूवैज्ञानिकों के भाग लेने की संभावना है।

इसमें 260 तकनीकी संगोष्ठियों में परिव्याप्त लगभग 3000 मौखिक प्रस्तुतियां एवं 1200-1500 पोस्टर प्रदर्शित किए जाएंगे। इस कांग्रेस के मुख्य आयोजन से पूर्व और बाद में होने वाले कार्यकलापों के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक उत्तमता और विरासत के अवलोकन हेतु 71 फील्ड भ्रमणों की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही, इस आयोजन में लगभग 100 व्यावसायिक बैठकें और 20 कार्यशालाएं/लघु पाठ्यक्रम भी आयोजित होंगे।

विज्ञान के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली लगभग 300 अग्रणी कंपनियों/एजेंसियों के लिए 'जिओएक्सपो' नाम की प्रदर्शनी की योजना बनाई जा रही है जो इन सात दिवस के सम्मेलन की अवधि में अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगी।

4. 36वीं आई.जी.सी.सोसाइटी की संरचना

यह सोसाइटी संगम ज्ञापन (मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन) में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए सर्वोच्च अधिकार प्राप्त प्राधिकरण है।

4.1 सक्षम प्राधिकारी

सक्षम प्राधिकारी, जिसमें सचिव, खान मंत्रालय अध्यक्ष एवं सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा अध्यक्ष, आई.एन.एस.ए., सह अध्यक्ष के रूप में हैं, 36वीं आई.जी.सी. की स्थानीय आयोजन समिति को नियुक्त करने के लिए सर्वोच्च निर्णयकारी प्राधिकारी हैं तथा यह आई.जी.सी. की वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गठित की गई है।

4.2 शासकीय निकाय

सोसाइटी के कार्यो एवं निधियों का प्रबन्धन शासकीय निकाय में निहित है, जो उन सभी कार्यों एवं बातों के क्रियान्वयन की हकदार है जिन्हें सोसाइटी करने के लिए अधिकृत है और करती है।

शासकीय निकाय सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता और सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की सह-अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय निकाय है।

4.3 कार्यकारी समिति

शासकीय निकाय द्वारा गठित कार्यकारी समिति इस सोसाइटी के दिन प्रति दिन के कार्यों का प्रबंधन करती है। शासकीय निकाय द्वारा कार्यकारी समिति को सभी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। कार्यकारी समिति की अध्यक्षता 36वीं आई.जी.सी. के अध्यक्ष द्वारा की जाती है ।

4.4 स्थानीय आयोजन समिति

36वीं आई.जी.सी. के आयोजन संबंधी पहलुओं की देख रेख स्थानीय आयोजन समिति (एल.ओ.सी.) द्वारा की जाती है जिसकी अध्यक्षता 36वीं आई.जी.सी. के अध्यक्ष करते हैं। इसके सदस्यों में 36वीं आई.जी.सी. के महासचिव एवं उपसमितियों के अध्यक्ष तथा सह-अध्यक्ष शामिल हैं।

4.5 उपसमितियां

स्थानीय आयोजन समिति की सहायता मौलिक विषयगत उपसमितियों द्वारा की जाती है। इनमें विज्ञान सलाहकार उपसमिति, विज्ञान कार्यक्रम उपसमिति, फील्ड भ्रमण उपसमिति, विरासत (लीगेसी) उपसमिति, वित्तीय उपसमिति, जियोहोस्ट सहायक कार्यक्रम उपसमिति, स्वैच्छिक कार्यक्रम उपसमिति, प्रायोजकर्ता उपसिमति, अंतर मंत्रालयी संपर्क उपसमिति, अंतर संस्थानिक संपर्क उपसमिति शामिल हैं। इसके अंतर्गत YES नेटवर्क का एक प्रतिनिधि, सचिवालय एवं पी.सी.ओ. (चुने जाने वाले) का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित है।

5. अध्यक्ष और महासचिव

इस आयोजन के संगठन का संचालन 36वीं आई.जी.सी. के अध्यक्ष और महासचिव द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष कार्यकारी समिति और स्थानीय आयोजन समिति की अध्यक्षता करते हैं। वे शासकीय निकाय के एक सदस्य भी हैं। महासचिव, शासकीय निकाय, कार्यकारी समिति और स्थानीय आयोजन समिति के सदस्य हैं।

जुलाई, 2017 में डॉ. शैलेष नायक द्वारा 36वीं आई.जी.सी. के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के उपरान्त नवंबर, 2017 में प्रो. वी.पी. डिमरी ने 36वीं आई.जी.सी. के अध्यक्ष का पदभार संभाला। प्रो. डिमरी के चयन का अनुमोदन एसीसी, भारत सरकार द्वारा किया गया।

दिनांक 12 फरवरी 2019 को डॉ. पी.आर. गोलानी ने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। शासकीय निकाय, 36वीं आई.जी.सी. ने एक पूर्ण कालिक महासचिव की नियुक्ति तक श्री एम. चंद्र दास, उपमहानिदेशक, डी.जी.सी.ओ., भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को महासचिव के पद का अस्थायी प्रभार दे दिया।

दिनांक 14.3.2019 को आयोजित 12वीं बैठक में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार डॉ. रसिक रवींद्र ने 25 मार्च, 2019 को 36वीं आई.जी.सी. में पूर्णकालिक महासचिव का पदभार संभाला।

36वीं आई.जी.सी.के विभिन्न समितियों के कार्यालय पदाधिकारियों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

6. अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का महत्व

36वीं आई.जी.सी. का प्रभाव अति व्यापक एवं वैश्विक महत्व का है। आयोजन के मौलिक विषय **"भूविज्ञान: सतत विकास के लिए आधारभूत विज्ञान"** के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। ऐसे समय में, जहां विश्व स्थायित्वता, ऊर्जा संकट, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, पर्यारवणीय मुद्दों, संसाधन प्रबंधन जैसी भारी समस्याओं से जकड़ा हुआ है, तब यह आयोजन विश्व के भूवैज्ञानिकों द्वारा गहन संवाद करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रस्तुत करेगा। यहाँ उत्पन्न कार्य योजना के महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे।

उपर्युक्त के साथ-साथ 36वीं आई.जी.सी. से ये अपेक्षाएँ भी हैं:-

- विशेष रूप से भावी पीढ़ियों के सतत विकास के दृष्टिकोण से भूविज्ञान के क्षेत्र में जानकारी और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।
- व्यवसायिक नेटर्किंग के लिए विशिष्ट मंच उपलब्ध कराना।
- भूविज्ञान के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर उपलब्ध कराना और सहयोगी कार्यक्रमों को आरंभ करना।
- खनन, खनिज गवेषण और जल प्रबंधन, खनिज संसाधन एवं पर्यावरण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर प्राथमिक सूचनाएं उपलब्ध कराना।
- खनन, खनिज गवेषण और पर्यावरण प्रबंधन तथा अन्य उपक्रमों में निवेश के अवसर उपलब्ध कराना।
- अकादमिक रूप से योग्य भूवैज्ञानिकों को अवसर प्रदान करना।
- राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर क्षेत्रीय भूविज्ञान में बढ़ी जागरूकता को आगे बढ़ाना।
- चिकित्सा और फोरेंसिक भूविज्ञान को उन्नत करने सहित भूविज्ञान के प्रति बढ़ी हुई जन-जागरूकता को आगे बढ़ाना।
- पर्यटन राजस्व बढ़ाने के लिए अवसरों का सृजन करना और भूपर्यटन के नए आयाम खोलना।
- भूवैज्ञानिक क्षेत्रों से बाहर भी क्षमता निर्माण के लिए अवसरों का सृजन करना।
- 2020-2030 तक के लिए भूविज्ञान कार्यसूची निर्माण में सहायता करना।
- नीति निर्धारकों द्वारा भूविज्ञान संबंधी विश्व स्तरीय सूचनाएं उपलब्ध कराना।
- जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विचार करना और ध्यान देना।

7. विभिन्न उपसमितियों के तहत प्रगति

वर्ष के दौरान विज्ञान कार्यक्रम, विरासत (लीगेसी), वित्त, स्वैच्छिक कार्यक्रम, जियोहोस्ट कार्यक्रम तथा प्रायोजक कार्यक्रम की उपसमितियों को गठित किया गया। इस दौरान स्थानीय संगठन समिति के लिए YES (वाई.इ.एस.) नेटवर्क प्रतिनिधि को नामांकित किया गया।

उपसमितियों के तहत प्रगति का ब्यौरा निम्नवार है:-

7.1 विज्ञान कार्यक्रम उपसमिति

2018-19 की अवधि में विज्ञान कार्यक्रम को पुन: परिभाषित करने और सुधार करने के लिए विज्ञान कार्यक्रम उपसमिति (एस.पी.सी.) की दो बैठकें हुई थीं। कांग्रेस के लिए प्लेनरी स्पीकर के रूप में विश्व प्रसिद्ध भूवैज्ञानिकों के चयन के लिए विज्ञान सलाहकार सदस्यों की एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जिसने बाद में 11 विश्व प्रसिद्ध भूवैज्ञानिकों की पहचान की। प्रत्येक विज्ञान विषय के लिए, भारतीय थीम समन्वयक की मदद से एस.पी.सी. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय थीम समन्वयक भी चुने गए थे। विज्ञान कार्यक्रम 44 विज्ञान विषयों में से प्रत्येक के लिए उप-विषयों/ संगोष्ठियों में उप-विभाजन के साथ विकसित हुआ। राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक निकायों और संघों से प्राप्त संगोष्ठियों के प्रस्तावों को शामिल करने के लिए विज्ञान कार्यक्रम में एक नया विषय - थीम 45 जोड़ा गया था।

7.2 फील्ड भ्रमण उपसमिति

फील्ड भ्रमण उपसमिति ने कांग्रेस कार्यक्रम में समन्वय के लिए भारत में आयोजित की जाने वाली कांग्रेस के पहले और बाद के 61 फील्ड भ्रमणों की समीक्षा की और अंतिम रूप दिया। अप्रैल 2018 में आयोजित उपसमिति की चौथी बैठक में कार्यक्रम निष्पादन के तौर-तरीकों की रूपरेखा तैयार की गई। समिति द्वारा प्रस्तावों के अंतिम रूप का मूल्यांकन किया गया एवं इन फील्ड भ्रमणों को विकसित करने के लिए 36वीं आई.जी.सी. द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा 33 अन्य भू-वैज्ञानिक संस्थानों (जिनको अनुदान जारी किया गया था) के साथ सहयोग सुनिश्चित कर लिया। इसके अलावा, 36वीं आई.जी.सी. ने संबंधित देशों में फील्ड भ्रमणों के विकास के लिए सह-मेजबान देशों के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों/ राष्ट्रीय अकादमियों के साथ संपर्क स्थापित किया। सह-मेजबान क्षेत्र से कुल 10 क्षेत्र भ्रमणों - नेपाल से 06, बांग्लादेश से 03 और श्रीलंका से 01 का कांग्रेस कार्यक्रम में समन्वय का लिया गया। फील्ड भ्रमणों को विकसित करने के लिए विभिन्न संस्थानों को अनुदान जारी कर दिया गया। क्षेत्र भ्रमण के लिए पूर्वाभ्यास कार्यक्रम निर्धारित और संचालित किए गए थे। इसके अलावा, गाइड बुक की तैयारी के लिए टेम्पलेट्स को अंतिम रूप दिया गया। कार्यक्रम को सोसाइटी की मंजूरी मिल गयी।

7.3 विरासत (लीगेसी) उपसमिति

उपसमिति ने निम्नलिखित चार भू-विज्ञान प्रकाशनों का निर्धारण किया है:

i. भारत का भूगतिक उद्भव
ii. भारत के भूपर्यटन स्थल
iii. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रकाशनों की ग्रंथ सूची संबंधी डेटाबेस (1851 से 2019)
iv. भारत के खनिज बेल्ट का मानचित्र

प्रतिवेदन की अवधि में, भारतीय उपमहाद्वीप के भूगतिक उद्भव के प्रमुख अंकों के लिए खंड और खंड संपादकों के साथ-साथ प्रत्येक अनुभाग के शीर्षक और उनके संबंधित लेखकों की पुष्टि की गई, और काम शुरू हो गया। यह निर्णय लिया गया कि पुस्तक में 41 लेख होंगे।

भूपर्यटन निर्देशिका के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 35वीं आई.जी.सी. हेतु प्रकाशित "जिओटूरिज्म हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट" शीर्षक वाली पूर्व पुस्तक का अद्यतन किया जाएगा और नए भूपर्यटन स्थलों को सम्मिलित किया जाए। तदनुसार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पाण्डुलिपि पर काम किया।

प्रकाशनों की ग्रंथ सूची के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पुराने संस्मरणों, अभिलेखों, विशेष प्रकाशनों, अप्रकाशित प्रतिवेदनों आदि को संकलित करने पर काम किया। यह निर्णय लिया गया कि ग्रंथ सूची की सॉफ्ट कॉपी तैयार कर कांग्रेस के दौरान पेनड्राइव/ सीडी में वितरित की जाएगी।

भारत के खनिज बेल्ट के मानचित्रों के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने प्रकाशन के लिए विभिन्न मानचित्रों को एकत्रित एवं संसाधित करना शुरू कर दिया है।

7.4 जियोहोस्ट सहयोग कार्यक्रम उपसमिति

36वीं आई.जी.सी. के जियोहोस्ट सहयोग कार्यक्रम में प्रतिनिधियों को 1000 पंजीकरण, 1000 यात्राएं, 1000 स्थानीय आतिथ्य सहायता प्रदान किया जानाहै। वित्त वर्ष 2018-19 की अवधि में जियोहोस्ट सहयोग

उपसमिति की तीन बैठकें (अगस्त 2018, नवंबर 2018, जनवरी 2019) आयोजित की गईं। उपसमिति ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा, कार्यक्रम की संरचना/ मॉडल (पूर्ण और आंशिक समर्थन), कांग्रेस विषय (थीम) कार्यशाला श्रृंखला (सी.टी.डब्ल्यू.एस.), स्वागत कार्यक्रम एवं पुरस्कार समारोह, बजटीय आवश्यकता, प्रायोजन अवसर आदि तय कर ली है। अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए तीन श्रेणियों तय की गयी थीं- श्रेणी ए (31.12.2019 को 40 वर्ष से कम आयु), श्रेणी बी (31.12.2019 को 40 वर्ष से अधिक आयु) तथा श्रेणी सी [यूथ जियोहोस्ट सहयोग कार्यक्रम (वाई.जी.पी.) पुरस्कार विजेता, आई.यू.जी.एस. समिति के सदस्य, भू-प्रश्नोत्तरी (जियोक्विज) विजेता आदि]। वाईजीपी को वर्ष 2012 में बोली लगाने के दौरान की गई प्रतिबद्धता के साथ कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत, आई.यू.जी.एस. से संबद्ध देशों के मेधावी छात्रों/ शोध विद्वानों (प्रत्येक देश से एक पुरस्कार विजेता) को 36वीं आई.जी.सी. में भागीदारी के लिए पूर्ण धन राशि (पंजीकरण, यात्रा और स्थानीय आतिथ्य समर्थन) देने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम को सोसाइटी की मंजूरी मिल गयी है।

7.5 प्रायोजन उपसमिति

उपसमिति की पहली बैठक 7 अगस्त 2018 को आयोजित की गई थी। उपसमिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया:

- प्रत्येक श्रेणी में कई प्रायोजकों को शामिल करने की संभावना होनी चाहिए।
- प्राप्त प्रायोजकों का उपयोग 36वीं आई.जी.सी. की आवश्यकतानुसार किया जा सकता है और केवल पूर्व निर्धारित उद्देश्य तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।
- भुगतान किए गए कार्यक्रमों के लिए 36वीं आई.जी.सी. प्रयोजन अर्जित करने के लिए विचारशील निर्णय ले सकती है।
- यदि आवश्यक हो तो 36वीं आई.जी.सी द्वारा एक अलग प्रायोजन खाता खोला जा सकता है।
- भारत में संभावित प्रायोजकों में वितरण के लिए प्रायोजन कार्यक्रम संबंधी विवरणिका लायी जा सकती है।

8.0 द्वितीय परिपत्र का प्रकाशन

दिसंबर, 2018 में 36वीं आई.जी.सी. का द्वितीय परिपत्र प्रकाशित किया गया।

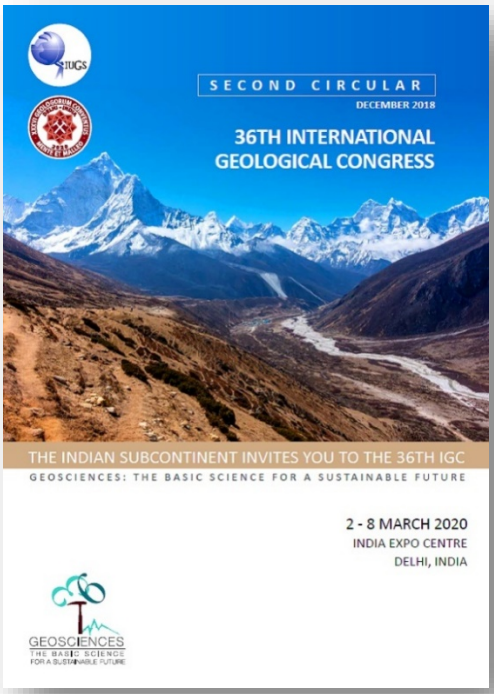

द्वितीय परिपत्र का आवरण-पृष्ठ

परिपत्र में निम्नलिखित पर जानकारी थी:

महत्वपूर्ण तिथियां, मुख्य आयोजन समिति, सुपर अर्ली बर्ड पंजीकरण, अध्यक्षों से संदेश, विज्ञान कार्यक्रम समिति, मसौदा कार्यक्रम समय सारणी, विज्ञान गोष्ठी, आई.यू.जी.एस से संबद्ध निकायों द्वारा प्रस्तावित गोष्ठी व सत्र और व्यापारिक बैठकें, सारांश हेतु आमंत्रण, व्यावसायिक विकास कार्यशालाएं तथा लघु पाठ्यक्रम, प्रकाशन, जियोहोस्ट सहयोग कार्यक्रम, फील्ड भ्रमण, प्रदर्शनी और प्रायोजन के अवसर, स्थल और दिल्ली-मेज़बान शहर।

परिपत्र में 44 विज्ञान विषय, उनके समन्वयक एवं गोष्ठी तथा उनके संयोजक के साथ-साथ कांग्रेस से पहले और बाद के फील्ड भ्रमणों की अवधि, समन्वयक, विहंगावलोकन आदि का विवरण दिया गया था।

9. आउटरीच कार्यक्रम

36वीं आई.जी.सी. ने भारत के विभिन्न हिस्सों में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रमों में कई आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो इस प्रकार हैं:

एशिया ओशिनिया जियोसाइंस सोसाइटी, होनोलुलु, हवाई की 15 वीं वार्षिक बैठक2018

36वी आई.जी.सी. के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने एवं उस पर प्रकाश डालने के लिए 3-8 जून, 2018 के दौरान होनोलूलू, हवाई में आयोजित एशिया ओशिनिया जियोसाइंस सोसाइटी (ए.ओ.जी.एस.) की 15वीं वार्षिक बैठक में डॉ. वी.पी. डिमरी, अध्यक्ष, 36वीं आई.जी.सी., श्रीमती फरीदा एम. नाइक, खान मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. एच.एस. मंडल, 36वीं आई.जी.सी. सचिवालय और डॉ. वी.वी. शेषा साईं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। सम्मेलन में 36वीं आई.जी.सी. पैवेलियन ने बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित किया, जो विज्ञान कार्यक्रम, फील्ड भ्रमणों एवं 36वीं आई.जी.सी. के अन्य कार्यक्रमों में गहरी रुचि दिखा रहे थे। 36वीं आई.जी.सी. के विभिन्न कार्यक्रमों से अवगत कराने के लिए अपनी मुलाकात के

दौरान अध्यक्ष, 36वीं आई.जी.सी. ने भूविज्ञान और भूभौतिकी विभाग, हवाई विश्वविद्यालय, होनोलूलू के साथ चर्चा की और उन्हें कांग्रेस में आमंत्रित किया।

15वें ए.ओ.जी.एस. कार्यक्रम में 36वीं आई.जी.सी. के प्रतिनिधिमंडल

रिसोर्सिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन कांग्रेस, वैंकूवर, कनाडा– 2018

कनाडा के वैंकूवर में 16-21 जून 2018 के दौरान आयोजित रिसोर्सिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन (आर.एफ.जी.) कांग्रेस में ऊर्जा, खनिजों और पानी की सतत आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया गया। 36वीं आई.जी.सी. के प्रचार के लिए इस सम्मेलन की क्षमता को देखते हुए डॉ. पी आर गोलानी 36वीं आई.जी.सी. के महासचिव, प्रो. डी.एम. बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) और सदस्य, कार्यकारी समिति, 36वीं आई.जी.सी.; डॉ. बी के बंसल, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डॉ. जयेश बागची, खान मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. स्निग्धा घटक, 36वीं आई.जी.सी. सचिवालय सहित भूवैज्ञानिकों की एक टीम ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

आर.एफ.जी. 2018 में 36वीं आई.जी.सी. पैवेलियन में बड़ी संख्या में भूवैज्ञानिक आए। आर.एफ.जी. 2018 के इनोवेशन मंच पर 36वीं आई.जी.सी. के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाले प्रचार व्याख्यान ने 36वीं आई.जी.सी. कांग्रेस में भागीदारी के लिए भूवैज्ञानिकों को प्रेरित किया। प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक हितधारकों से वित्त पोषण और अन्य सहायता हेतु मार्ग प्रशस्त करने के अवसर का भी उपयोग किया। 36वीं आई.जी.सी. प्रतिभागियों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की योजना बनाने के लिए जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका (जी.एस.ए.) के साथ विचार-विमर्श किया गया। कमीशन फॉर द मैनेजमेन्ट एण्ड एप्लीकेशन ऑफ जिओसाइंस इंफॉर्मेशन (सी.जी.आई.) ने 36वीं आई.जी.सी. में भागीदारी के लिए प्रतियोगिता हेतु पत्रक वितरित किए। एक बैठक में 36वीं आई.जी.सी. प्रतिनिधिमंडल और आई.यू.जी.एस. कार्यकारी समिति के बीच 36वीं आई.जी.सी. संबंधी कार्यकलापों की स्थिति पर चर्चा की गई।

आर.एफ.जी. कार्यक्रम में पैवेलियन के आगंतुकों के साथ 36वीं आई.जी.सी. के प्रतिनिधिमंडल

जियोसाइंस एजुकेशन पर 8वाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ब्राजील – 2018

36वीं आई.जी.सी. को बढ़ावा देने के लिए 22-27 जुलाई 2018 के दौरान ब्राजील के कैंपिनास विश्वविद्यालय में आयोजित भू-विज्ञान शिक्षा (8वाँ जियोसाइंस एजुकेशन) पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 36वीं आई.जी.सी. के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल में बिपुल पाठक, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार; डॉ. आर शंकर, अध्यक्ष, जियोहोस्ट उप समिति और डॉ. एल पी सिंह, 36वीं आई.जी.सी. सचिवालय शामिल हुए।

सम्मेलन में 36वीं आई.जी.सी. के पैवेलियन ने भाग लेने वाले भूवैज्ञानिकों के बीच बहुत रुचि पैदा की। सम्मेलन में डॉ. शंकर की एक विस्तृत प्रस्तुति के द्वारा कांग्रेस के कार्यक्षेत्र, वैज्ञानिक कार्यक्रम, क्षेत्र भ्रमण और अन्य आकर्षणों का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया। जियोहोस्ट कार्यक्रम के तहत योजनाओं पर विशेष बल दिया गया। 36वीं आई.जी.सी. का विषय-1 (सोसाइटी के लिए जियोसाइंस) अंतर्राष्ट्रीय भू-विज्ञान शिक्षा संगठन (आई.जी.सी.ओ.) के केंद्रीय विषय के अनुरूप था, आई.जी.ई.ओ. की परिषद की बैठक में 36वीं आई.जी.सी. पर एक विशेष घोषणा की गई थी। 36वीं आई.जी.सी. प्रतिनिधिमंडल ने प्रो. क्रिस किंग, समन्वयक, विषय-1 के साथ इस विषय के अन्तर्गत सारांशों की संख्या बढ़ाने हेतु पथ प्रशस्त करने के लिए विस्तृत चर्चा की गयी।

8वें जियोसाइंस एजुकेशन इवेंट में 36वीं आई.जी.सी. के प्रतिनिधि

13वीं अंतर्राष्ट्रीय अभियांत्रिकी भूविज्ञान संघ कांग्रेस – 2018

अंतर्राष्ट्रीय अभियांत्रिकी भूविज्ञान संघ (आई.ए.इ.जी.) ने सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में 17-21 सितंबर 2018 के मध्य सतत्त विश्व के लिए अभियांत्रिकी भूविज्ञान विषय पर अपने 13वें कांग्रेस का आयोजन किया। कांग्रेस में 36वीं आई.जी.सी. का प्रतिनिधित्व, डॉ. सैबाल घोष एवं श्री बी. एम. गैरोला, निदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किया। आउटरीच एवं प्रचार कार्यक्रम के अन्तर्गत, 36वीं आई.जी.सी. ने कांग्रेस के प्रमुख आकर्षणों को प्रदर्शित करते हुए एक पैवेलियन स्थापित किया था। आई.ए.इ.जी. की वार्षिक सामान्य सभा व कांग्रेस के समापन समारोह में प्रतिनिधिमंडल द्वारा 36वीं आई.जी.सी. के क्रियाकलापों पर प्रस्तुतियों ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को उत्साहित किया।

13वीं आई.ए.ई.जी. कार्यक्रम में अन्य भूवैज्ञानिकों के साथ 36वीं आई.जी.सी. का प्रतिनिधिमंडल

ऑस्ट्रेलियन जियोसाइंस काउंसिल कन्वेंशन – 2018

36वीं आई.जी.सी. को बढ़ावा देने के लिए, डॉ. दिनेश गुप्ता, महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें एस.एन. भगत, 36वीं आई.जी.सी. सचिवालय एवं वी. राममूर्ति, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सदस्य के रूप में सम्मिलित थे, ने ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में 14-18 अक्टूबर, 2018 के मध्य ऑस्ट्रेलियन जियोसाइंस काउंसिल कन्वेंशन (ए.जी.सी.सी. 2018) में भाग लिया। आउटरीच और प्रमोशन कार्यक्रम हेतु 36वीं आई.जी.सी. ने कांग्रेस के प्रमुख आकर्षण प्रदर्शित करते हुए एक पैवेलियन स्थापित किया था। प्रतिनिधिमंडल ने कुछ प्रमुख वैश्विक हितधारकों के साथ व्यावसायिक बैठकें कीं। बैठक में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं जियोसाइंस ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्तमान विचारार्थ विषय (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) के विस्तार पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस टी.ओ.आर. के लघु और दीर्घकालिक रोड मैप से क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और खनिज अन्वेषण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की संभावना है। वैश्विक भूवैज्ञानिकों ने 36वीं आई.जी.सी. के क्षेत्र भ्रमण, विज्ञान विषयों, जियोहोस्ट और अन्य कार्यक्रमों में गहरी रुचि दिखाई।

ए.जी.सी.सी. 2018 कार्यक्रम में अन्य भूवैज्ञानिकों के साथ 36वीं आई.जी.सी. का प्रतिनिधिमंडल

जीएसए, इंडियानापोलिस, यूएसए की वार्षिक बैठक - 2018

डॉ. एन.के. सिंह, संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. पी.आर. गोलानी, महासचिव, 36वीं आई.जी.सी. सचिवालय, डॉ. श्रीमती गुप्ता, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और देबाशीष राउत, 36 वींआई.जी.सी. सचिवालय, 4-7 नवंबर 2018 के मध्य अमेरिका के इंडियानापोलिस में जियोलाजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका (जी.एस.ए.) के 130वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। 36वीं आई.जी.सी. ने अपनी प्रदर्शनीय वस्तुओं के लिए एक पैवेलियन स्थापित किया था। प्रतिनिधिमंडल ने आई.यू.जी.एस. एवं अन्य भूवैज्ञानिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। महासचिव, 36वीं आई.जी.सी. ने एक प्रदर्शन के माध्यम से बैठक में कांग्रेस के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।

जी.एस.ए. कार्यक्रम में महासचिव, आई.यू.जी.एस. के साथ 36वीं आई.जी.सी.प्रतिनिधिमंडल

एजीयू, वाशिंगटन डीसी, यूएसए - 2018 की फॉल बैठक

36वीं आई.जी.सी. प्रतिनिधिमंडल डॉ. वी.पी. डिमरी, अध्यक्ष 36वीं आई.जी.सी., के साथ श्री हेमराज सूर्यवंशी, श्री एच.सी.गौड़ा एवं श्री केशवन रमेश, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं श्री देबाशीष राउत, 36वीं आई.जी.सी. सचिवालय ने सदस्य के रूप में 10-14 दिसंबर, 2018 को अमेरिकी भूभौतिकीय संघ (ए.जी.यू.), वाशिंगटन, डी.सी., यू.एस.ए. के फॉल बैठक में भाग लिया। बैठक में 36वीं आई.जी.सी. पैवेलियन वैश्विक भूवैज्ञानिकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण था, जिसमें उन्होंने क्षेत्र भ्रमण, विज्ञान विषयों, जियोहोस्ट सहयोग एवं कांग्रेस के अन्य कार्यक्रमों में गहरी रुचि दिखाई। बैठक में 36वीं आई.जी.सी. के अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्तुति दी गई थी एवं प्रतिनिधिमंडल ने 36वीं आई.जी.सी. में अपनी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भूवैज्ञानिकों के साथ परस्पर विचार-विमर्श किया।

एजीयू कार्यक्रम में 36वीं आई.जी.सी. के प्रतिनिधिमंडल

10.0 व्यावसायिक सम्मेलन आयोजक का नियोजन

मैसर्स वैपकोस लिमिटेड, जलशक्ति मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, को 36वीं आई.जी.सी. के शासकीय निकाय द्वारा लिए गए निर्णयानुसार 36वीं आई.जी.सी. के व्यावसायिक सम्मेलन के आयोजक के रूप में नियुक्त किया गया। 14 मार्च 2019 को 36वीं आई.जी.सी. एवं वैपकोस लिमिटेड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अपनी नियुक्ति के बाद से, पी.सी.ओ. अपना अधिदिष्ट क्रियाकलाप कर रहा है।

11.0 बजट

36वीं आई.जी.सी. के संगम ज्ञापन (मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन) के अनुसार, 36वीं आई.जी.सी. को बजटीय सहयोग खान मंत्रालय (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर 50:50 के अनुपात में प्रदान किया जाएगा। वित्त वर्ष 2018-19 अवधि में खान मंत्रालय (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण) द्वारा 6.11 करोड़ रुपये एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 5 करोड़ रूपये प्रदान किए गए। खान मंत्रालय की ओर से प्राप्त पिछले साल के 1.179 करोड़ रुपये की शेष राशि को अगले वित्त वर्ष के लिए आगे लाया गया। उपरोक्त राशि में से 6.42 करोड़ रूपये का उपयोग 36वीं आई.जी.सी. द्वारा विभिन्न कार्यकलापों पर किया गया था।

दिनांक 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता नीचे दिया गया है :

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस सचिवालय (आई.जी.सी.) पता: सी-II, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड, नई दिल्ली – 110062 दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का बैलेंस शीट			
		राशि (रू)	राशि (रू)
विवरण	नोट	दिनांक 31 मार्च 2019 को	दिनांक 31 मार्च 2018 को
पूँजीगत निधि एवं देयताएं			
सोसाइटी कोष / **पूँजीगत निधि**	1	5,67,45,868	1,17,93,937
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	2	48,08,055	6,53,461
योग		**6,15,53,923**	**1,24,47,398**
परिसंपत्तियाँ			
स्थायी परिसंपत्तियाँ	3	1,60,508	24,353
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	4	6,13,93,415	1,24,23,045
योग		**6,15,53,923**	**1,24,47,398**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों पर नोट	11, 12		

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस सचिवालय (आई.जी.सी.) पता: सी-।।, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड, नई दिल्ली – 110062 दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का आय व व्यय का लेखा			
		राशि (रू)	राशि (रू)
विवरण	नोट	दिनांक 31 मार्च 2019 को	दिनांक 31 मार्च 2018 को
आय			
एफ.डी.आर. पर ब्याज		-	9,09,585
अग्रिम पर ब्याज		-	9,693
कुल राजस्व		-	9,19,278
व्यय			
फील्ड कार्यों हेतु वित्तीय सहायता/ वित्तीय सहायता	5	1,10,96,248	2,26,187
आउटरीच कार्यक्रम एवं प्रचार गतिविधियां		60,22,558	20,04,278
आयोजन संबंधी व्यय	6	3,92,56,331	-
प्रचार संबंधी व्यय – 35वीं आई.जी.सी. के दौरान	7		22,40,304
प्रशासनिक व्यय/ सचिवालयी प्रशासन व अवसंरचना	8	68,86,267	48,58,396
सलाहकार/पी.सी.ओ. का पारिश्रमिक		-	1,18,000
जियो होस्ट		47,571	
प्रारंभिक कार्यकलापों पर विविध व्यय	9	46,013	24,036
परिवहन	10	11,79,975	-
मूल्यह्रास	3	16,885	4,297
व्यय का योग		6,45,51,848	94,75,498
आय पर व्यय की अधिकता		(6,45,51,848)	(85,56,220)
जोड़ें: आयकर वापसी		41,650	-
		(6,45,10,198)	(85,56,220)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों पर नोट	11, 12		

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षक की विस्तृत रिपोर्ट **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है।

अनुबंध-I

कार्यालय पदाधिकारियों की सूची

सक्षम प्राधिकारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री अनिल मुकीम	सचिव, खान मंत्रालय एवं अध्यक्ष
2.	डॉ. एम. राजीवन	सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं सह-अध्यक्ष
3.	प्रो. अजय कुमार सूद	अध्यक्ष, आई.एन.एस.ए. एवं सह-अध्यक्ष

शासकीय निकाय

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री अनिल मुकीम	सचिव, खान मंत्रालय एवं अध्यक्ष
2.	डॉ. एम. राजीवन	सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं सह-अध्यक्ष
3.	प्रो. अजय कुमार सूद	अध्यक्ष, आई.एन.एस.ए. एवं सह-अध्यक्ष
4.	प्रो. वी. पी. डिमरी	अध्यक्ष, 36वीं आई.जी.सी.
5.	डॉ. दिनेश गुप्ता	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं सह-अध्यक्ष, 36वीं आईजीसी (पदेन)
6	डॉ. रसिक रवीन्द्र	महासचिव, 36वीं आई.जी.सी.
7.	श्री बिपुल पाठक	संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय
8.	डॉ. वी. के गहलोत	वैज्ञानिक 'जी', पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
9.	प्रो. एस. के. टंडन	पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय

कार्यकारी समिति

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	प्रो. वी. पी. डिमरी	अध्यक्ष, 36वीं आई.जी.सी.
2	डॉ. दिनेश गुप्ता	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं सह-अध्यक्ष, 36वीं आईजीसी (पदेन)
3.	डॉ. रसिक रवीन्द्र	महासचिव, 36वीं आई.जी.सी.
4.	श्री एम. चन्द्र दास	उपमहानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अध्यक्ष वित्त समिति (पदेन)
5.	श्री बिपुल पाठक	संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय
6.	श्री विपिन चन्द्रा	संयुक्त सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

स्थानीय आयोजन समिति

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	प्रो. वी. पी. डिमरी	अध्यक्ष, 36वीं आई.जी.सी.
2	डॉ. दिनेश गुप्ता	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं सह-अध्यक्ष, 36वीं आईजीसी (पदेन)
3	डॉ. रसिक रवीन्द्र	महासचिव, 36वीं आई.जी.सी.
4	प्रो. तलत अहमद	अध्यक्ष, विज्ञान कार्यक्रम समिति
5	डॉ. एस. के. रे	सह-अध्यक्ष, विज्ञान कार्यक्रम समिति
6	डॉ. पी. पी. चक्रवर्ती	सह-अध्यक्ष, विज्ञान कार्यक्रम समिति
7	डॉ. सोमनाथ दास गुप्ता	सह-अध्यक्ष, फील्ड भ्रमण समिति
8	डॉ. एन. आर रमेश	सह-अध्यक्ष, फील्ड भ्रमण समिति
9	डॉ. फरीदुद्दीन	अध्यक्ष, विरासत (लीगेसी) समिति
10	प्रो. आर. शंकर	अध्यक्ष, जियोहोस्ट समिति
11	डॉ. ए. एल. रामनाथन	अध्यक्ष, स्वैच्छिक कार्यक्रम समिति
12	श्री एम. चन्द्र दास, उपमहानिदेशक, भा.भू.स.	अध्यक्ष वित्त समिति (पदेन)
13	डॉ. स्निग्धा घटक	सदस्य, सचिवालय
14	श्री एस. एन. भगत	कोषाध्यक्ष
15	श्री देबासिश राउत	सदस्य, सचिवालय
16	डॉ. एच. एस. मंडल	सदस्य, सचिवालय
17	डॉ. तन्वी अरोड़ा	प्रतिनिधि, YES नेटवर्क

विज्ञान कार्यक्रम समिति

1. प्रो. तलत अहमद, कुलपति, कश्मीर विश्वविद्यालय- अध्यक्ष
2. डॉ. एस. के. रे., उपमहानिदेशक (सेवानिवृत्त) भा.भू.स. – सह-अध्यक्ष
3. डॉ. पार्थ प्रतिम चक्रवर्ती, दिल्ली विश्वविद्यालय – सह-अध्यक्ष

4. डॉ. दिनेश गुप्ता, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
5. डॉ. परमप्रीत कौर, पंजाब विश्वविद्यालय
6. डॉ. बी. सी. सरकार, आई.एस.एम., धनबाद
7. डॉ. वंदना प्रसाद, बी.एस.आई.पी., लखनऊ
8. डॉ. एन. चलपति राव, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी
9. डॉ. के.एस. कृष्णा, हैदराबाद विश्वविद्यालय
10. डॉ. अजय मांगलिक, सी.एस.आई.आर.-एन.जी.आर.आई., हैदराबाद
11. डॉ. राहुल मोहन, एन.सी.ए.ओ.आर., गोवा
12. डॉ. डी.एस. रमेश, आई.आई.जी.
13. डॉ. टी. इलांगो, अन्ना विश्वविद्यालय
14. डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव, डब्ल्यू.आई.एच.जी.
15. डॉ. दीपक सी. श्रीवास्वत, आई.आई.टी., रूड़की
16. डॉ. प्रकाश चौहान, इसरो
17. डॉ. एच.एस. पंडालयी, आई.आई.टी., बॉम्बे
18. डॉ. सोमनाथ दास गुप्ता, सह-अध्यक्ष, फील्ड भ्रमण समिति
19. डॉ. एन.आर. रमेश, सह-अध्यक्ष, फील्ड भ्रमण समिति
20. डॉ. सैबाल घोष, 36वीं आई.जी.सी. सचिवालय- संयोजक
21. डॉ. एच.एस. मंडल, 36वीं आई.जी.सी. सचिवालय- सह-संयोजक

फील्ड भ्रमण समिति

1. प्रो. सोमनाथ दास गुप्ता, एफ.एन.ए., जामिया मिलिया, सह-अध्यक्ष
2. डॉ. एन.आर रमेश, से.नि. ए.डी.जी., भा.भू.स., सह-अध्यक्ष
3. प्रो. ए.के. जैन एफ.एन.ए., आई.आई.टी., रूड़की
4. प्रो. यू.के. शुक्ला बी.एच.यू. वाराणसी
5. डॉ. एम.एस बोडास, निदेशक भा.भू.स., राज्य इकाई महाराष्ट्र, मध्य क्षेत्र पुणे
6. डॉ. एस.रवी, निदेशक भा.भू.स., दक्षिणी क्षेत्र हैदराबाद
7. प्रो. हेमा अच्युतन, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई
8. डॉ. ई.वी.एस.के बाबू, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, एन.जी.आर.आई. हैदराबाद
9. अध्यक्ष, विज्ञान कार्यक्रम समिति-इस समिति के पदेन सदस्य
10. डॉ. स्निग्धा घटक, संयोजक

विरासत (लीगेसी) समिति

1. डॉ. फरीदुद्दीन, अध्यक्ष
2. प्रो. नरेश पंत, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
3. प्रो. सैबल गुप्ता, आई.आई.टी., खड़गपुर
4. डॉ. के.एस. गोदावरी, भारतीय भूवैज्ञानिक सोसाइटी
5. डॉ. एस. गुहा, भारतीय भूवैज्ञानिक सोसाइटी
6. श्री देवासिश राउत, 36वीं आई.जी.सी. सचिवालय
7. श्री बासब मुखोपाध्याय, निदेशक, एम.III ए., केन्द्रीय मुख्यालय, भा.भू.स., कोलकता
8. श्री वी. अनिल कुमार, निदेशक, एम.III सी., केन्द्रीय मुख्यालय, भा.भू.स., कोलकता
9. श्रीमती नबनीता नंदी, अधीक्षण भूविज्ञानी, एम.IIIबी., केन्द्रीय मुख्यालय, भा.भू.स., कोलकता

वित्त समिति

1. श्री एम. चन्द्र दास, उपमहानिदेशक, भा.भू.स. - अध्यक्ष
2. श्रीमती रिना सिन्हा पुरी, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, खान मंत्रालय
3. श्री एस.एन. भगत, कोषाध्यक्ष

प्रायोजनकर्ता समिति

1. डॉ. एन. के. वर्मा, एम.डी., ओ.एन.जी.सी. विदेश
2. श्री आर के शर्मा, एफ.आई.एम.आई.
3. श्री रमेश कुमार, अध्यक्ष, आई.ई.एम.एल.
4. श्री आर एच सकवार, भारतीय भूवैज्ञानिक सोसाइटी
5. डॉ. के एस राव, आई.आई.टी., दिल्ली
6. डॉ. रणजीत रथ, ई.आई.एल.
7. संयोजक – श्री देबासिश राउत, आई.जी.सी. सचिवालय

जियोहोस्ट समिति

1. प्रो. आर शंकर, मंगलोर विश्वविद्यालय- अध्यक्ष
2. डॉ. एम पृथ्वीराज, डी.एस.टी.
3. डॉ. सुरेश बाबू, एन.सी.ई.एस.एस.
4. डॉ. देबाहुती मुखर्जी, भा.भू.स.
5. प्रो. मुकुंद शर्मा, बी.एस.आई.पी., लखनऊ
6. डॉ. स्निग्धा घटक, संयोजक

स्वेच्छा कार्यक्रम उपसमिति

1. डॉ. ए.एल. रामनाथन, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली- अध्यक्ष
2. डॉ. प्रभास पांडे, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
3. एच.एस. मंडल, 36वीं आई.जी.सी.सचिवालय – संयोजक

YES नेटवर्क प्रतिनिधि

1. डॉ. तन्वी अरोड़ा-एन.जी.आर.आई.

अनुबंध-II

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमें 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। हमने संलग्न वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षण किया, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक की बैलेंस शीट एवं वर्ष 2019 की समाप्ति तक के आय व व्यय तथा प्राप्ति व भुगतान खाते का विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों व लेखा नोट्स का सार शामिल है।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

2. यह प्रबन्धन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप संगठन की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रदान करता है। इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव सम्मिलित है जो कि सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है और यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न वस्तुगत अशुद्ध विवरण से मुक्त होता है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक विचार अभिव्यक्त करना है। हमने अपना लेखा परीक्षण इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गत लेखांकन मानकों के अनुरूप संचालित किया है। उन मानकों की मांग है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा लेखा परीक्षण की योजना इस प्रकार बनाएं व निष्पादित करें कि हम इस बात से आश्वस्त हो सकें कि वित्तीय विवरण वस्तुगत अशुद्ध विवरण से मुक्त है।

4. लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं उनके उल्लेख से संबंधित लेखा साक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रक्रियात्मक निष्पादन शामिल होता है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण के वस्तुगत अशुद्ध विवरण, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, के जोखिम का आकलन शामिल होता है। इन जोखिमों का आकलन करने में, लेखा परीक्षक परिस्थितियों के अनुरूप लेखा प्रक्रिया को डिजाइन करने के लिए सोसाइटी के वित्तीय विवरणों को बनाने व उसकी निष्पक्ष प्रस्तुति के संबंध में आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं। लेखा परीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता व प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कशीलता के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी समाहित रहता है।

5. हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार व्यक्त करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

6. हमने ऐसी सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण माँगी और प्राप्त की हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे।

विचार

7. हमारे विचार में एवं हमारे पास उपलब्ध सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, यह वित्तीय विवरण नोट 11 'महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और खातों के लिए नोट्स' के तहत उल्लिखित लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो भारत में गैर-लाभकारी संस्थाओं हेतु सामान्यतः स्वीकार्य है।

   (क) बैलेंसशीट के मामले में, 31 मार्च 2019 तक सोसाइटी के लेन-देन की स्थिति;

(ख) आय और व्यय के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से आय की अधिकता;

(ग) प्राप्तियों और भुगतानों खातो के मामले में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान।

8. निम्नलिखित के अधीन

i. सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सबंधित पक्ष को भुगतान के समय टी.डी.एस. काटा गया है।

ii. कुछ स्थानों पर जी.एफ.आर. का पालन नहीं किया गया है, दिनांक 29.09.2019 को लिखित अभ्यावेदन के पैरा 1 से 6 का संदर्भ में

कृते ऐ.के.जी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफ.आर.एन. सं. 002688एन

स्थान- दिल्ली
दिनांक – 05.12.2019

हस्ता°/
सी.ए. श्रुति गुप्ता
सहभागी
एम.सं. 401918

ऐ.के.जी. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट

संदर्भ:- 1080/36वीं आई.जी.सी./09-2019/001
29 सितम्बर, 2019

निदेशक
36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस सचिवालय
सी-।। विंग, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड,
नई दिल्ली – 110062

विषय: लिखित अभ्यावेदन

हमने दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस** का वैधानिक लेखा परीक्षण किया है। हम लेखा परीक्षण के दौरान प्राप्त निम्नलिखित टिप्पणियों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:-

1. जी.एफ.आर., 2017 के नियम 306 के अनुसार, सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी सामान्य या विशिष्ट निर्देशों के अधीन, प्रत्येक सरकारी सेवक द्वारा, जो कि वस्तुत: रोकड़ अथवा भंडार संभालता है, प्रतिभूति प्रस्तुत करने एवं एक प्रतिभूति बंधपत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा जो उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिसके तहत सरकार प्रतिभूति बंधपत्र रखेगी और अंततः इसे वापस अथवा समायोजित कर देगी। सोसाइटी द्वारा कोई निष्ठा बंध क्रियान्वित नहीं किया गया था लेकिन हमारे आग्रह पर दिनांक 23.09.2019 से इसका अनुपालन कर लिया गया।

2. जी.एफ.आर., 2017 के नियम 230(8) के अनुसार, किसी संस्था द्वारा अनुदान सहायता या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त) पर प्राप्त सभी ब्याज, खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से भारत के समेकित कोष में प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिम को भविष्य में जारी अनुदान में समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परन्तु जी.एफ.आर. के उल्लंघन में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वीकृति आदेश में कहा गया है कि अर्जित ब्याज अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था को उधार राशि के रूप में माना जाएगा जिसे भविष्य में जारी अनुदान में समायोजित किया जाएगा।

3. सोसाइटी ने उप अनुदान प्राप्तकर्ताओं को रू.11096248 अनुदान दिए हैं। जी.एफ.आर., 2017 के नियम 230(1) के अनुसार, कोई भी संस्था या संस्थान, जो अनुदान हेतु प्रार्थना करता है, को एक आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसमें सभी प्रासंगिक जानकारी जैसे कि एसोसिएशन के लेख, उपनियम, लेखा परीक्षित विवरण, आय व व्यय के स्रोत व प्रतिमान इत्यादि सम्मिलित हैं, जिससे स्वीकृति प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी अनुदान हेतु प्रार्थना करने वाली संस्था या संस्थान की उपयुक्तता का आकलन कर सके। आवेदन पत्र में अनुदान मांगने की आवश्यकता पूरी तरह से स्पष्ट की जानी चाहिए तथा संस्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। अनुदान माँगने वाली संस्था या संस्थान को यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि उसने भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से इसी उद्देश्य या गतिविधि के लिए अनुदान हेतु आवेदन नहीं किया है अथवा अनुदान प्राप्त नहीं किया है। सोसाइटी द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाले किसी संगठन से ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया गया है। साथ ही संगठन की उपयुक्तता की जांच के लिए फाइलों में कोई उप नियम या अनुदानकर्ताओं के खातों का विवरण मौजूद नहीं था।

4. नियम 238 (1) के अनुसार, किसी संस्था या संगठन को गैर-आवर्ती अनुदानों के संबंध में, उस प्रयोजन के लिए प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोग के प्रमाणपत्र, जिसके लिए फॉर्म जी.एफ.आर. 12-ए में स्वीकृति प्रदान की गई है, हेतु

अनुदान के संस्वीकृत आदेश में जोर दिया जाना चाहिए। तथापि, प्रेसीडेंसी कॉलेज, चेन्नई से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र जी.एफ.आर. 12-ए के अनुरूप नहीं है।

5. सोसाइटी द्वारा जारी स्वीकृति पत्र के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं द्वारा अंतरिम व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। तथापि, अनुदान प्राप्त करने वाली निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा आज तक इस तरह की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है:-

क्रम सं.	अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था	कोड	धनराशि (रू)
1	मैसूर विश्वविद्यालय	एस.आर. 003	200000
2	महाराजा सैयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय, वडोदरा	डब्लू.आर. 008	120000
		डब्लू.आर. 012	350000
3	सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय	सी.आर. 003	200000
4	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	एन.आर. 008	265000
5	मनीपाल विश्वविद्यालय, मनीपाल	एस.आर. 015	400000
		डब्लू.आर. 010	300000
6	लखनऊ विश्वविद्यालय	एन.आर. 008	275000
7	कुमाऊं विश्वविद्यालय	एन.आर. 009	330000
8	जादवपुर विश्वविद्यालय	एन.ई.आर. 004	80000
		ई.आर. 001	300000
9	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	सी.आर. 001	102000
10	आई.आई.टी. (आई.एस.एम.), धनबाद	ई.आर. 002	225000
		ई.आर. 007	250000
		एस.आर. 016	150000
11	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम	एन.ई.आर. 001	172500
12	सी.एस.आई.आर.-सी.बी.आर.आई	एन.आर. 006	800000
13	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता	ई.आर. 010	160000
14	बीरबल साहनी पुरविज्ञान संस्थान, लखनऊ	एन.आर. 010	300000
		एन.आर. 012	288200
		सी.आर. 001	114000
15	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	एन.आर. 005	210000
16	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	एस.आर. 020	450000
17	आई.आई.टी., खड़गपुर	एन.ई.आर. 002	150000
		एन.ई.आर. 003	200000
		डब्लू.आर. 009	600000
18	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	एन.आर. 001	300000
19	प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, कोलकाता	ई.आर. 012	400000
20	आई.ओ.एम. अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	डब्लू.आर. 011	300000
21	मंगलौर विश्वविद्यालय, कर्नाटक	एस.आर. 018	450000
22	कॉटन विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	एन.ई.आर.005	700000
23	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)	डब्लू.आर. 004	300000

6. निविदाओं के संबंध में अवलोकन

36वीं आई.जी.सी./डब्लू.ओ.सी.एस./ओ.सी.ए./कंप्यूटर/2014-15/02

दिनांक 05.07.2018 को 11 कंप्यूटर, 11 यू.पी.एस., 1 कलर प्रिंटर, 2 एम.एफ.पी. ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, एक ब्लैक एंड व्हाइट डी.ए.डी.एफ. प्रिंटर और 5 ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की खरीद के उद्देश्य से गठित समिति द्वारा एक प्रस्ताव संसाधित और अनुशंसित किया गया था। इसकी अनुमानित लागत 14.75 लाख रुपये थी।

सभी अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, दिनांक 12.11.2018 को सी.पी.पी. पोर्टल के माध्यम से ई-निविदाएं आमंत्रित की गई थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं होने के कारण, बोलियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि के विस्तार के लिए एक शुद्धिपत्र द्वारा अधिसूचना जारी की गई जिसके परिणामस्वरूप दो बोलियाँ प्राप्त हुईं। क्रय की तात्कालिकता का हवाला देने हुए दो बोलियां खोली गईं, लेकिन दोनों में से कोई भी बोली तकनीकी रूप से योग्य नहीं पाई गई। अतएव आवश्यकता के पुनर्मूल्यांकन के निर्देश के साथ निविदा को रद्द कर दिया गया था।

नए अध्यक्ष के साथ समिति को निम्नानुसार निर्देशित किया गया था:-

36वीं आई.जी.सी. में बढ़ी हुई जनशक्ति को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों की वर्तमान तत्काल आवश्यकता का आकलन किया जाए एवं तत्काल क्रय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

समिति ने दिनांक 28.01.2019 को, निम्नानुसार अनुशंसा की:-

आई.जी.सी. प्रशासन सचिवालय की वर्तमान तत्काल आवश्यकता इस प्रकार प्रतीत होती है:-

क- डेस्कटॉप		
1. डेस्कटॉप पी.सी.		सं. 4 (चार)
ख- अन्य बाह्य उपकरण		
2. फोटोकॉपियर (35 पी.पी.एम.)		सं. 1 (एक)
3. प्रिंटर (ऑल-इन–वन) डुपलेक्स		सं. 2 (दो)
4. प्रिंटर (ऑल-इन–वन)		सं. 2 (दो)

यह स्पष्ट नहीं होता है कि जब दिनांक 05.07.2018 को मांग को अत्यन्त आवश्यक प्रक्षेपित किया गया था, तब दिनांक 09.01.2019 को, यानी केवल 6 महीने बाद इस तथ्य को देखते हुए कि संस्था में और अधिक अधिकारी शामिल हुए तथा किसी ने छोड़ा नहीं था, आवश्यकता का पुन: आकलन करने का प्रश्न कहाँ से आया।

दिनांक 28.01.2019 को एक क्रय समिति का गठन किया गया था, जिसने बाजार सर्वेक्षण के बाद दिनांक 27.02.2019 को पाया कि सामग्री का मूल्य 2.50 लाख रुपये की सीमा से अधिक होगा।

इसे क्रय समिति के लिए निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्दर लाने के लिए, मांग को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें रू 1,10,9202/- के मूल्य वाला फोटो कॉपियर दिनांक 05.03.2019 के चालान सं. जी.एस.टी./18-19/5597 द्वारा क्रय किया गया था एवं रू 2,27,268 मूल्य के आठ कंप्यूटर को इनवायस सं. TAX/304-15 (ई-वे बिल नंबर 7210 6807 9479) दिनांक 23.04.2019 (फाइल सं. 36आई.जी.सी./स्टोर/कंप्यूटर/2019-20/01) के द्वारा खरीदे गए।

दिनांक 05.07.2018 को प्रक्षेपित तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व पुन: निविदा से बचने के लिए मांग को छोटी मात्रा में विभाजित करने का यह स्पष्ट मामला है जो कि जी.एफ.आर. 2017 के नियम 149 (viii) का उल्लंघन है, जो इस प्रकार है :-

जेम पर एल-1 क्रय/ बोली/ रिवर्स नीलामी के द्वारा क्रय से बचने के लिए या कुल मांग के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में आवश्यक उच्च अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए सामग्री की मांग को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा– जी.एफ.आर. 149 (viii)

फाईल सं. 36वीं आई.जी.सी./प्रिंटिग कार्य/2018-19/04

रु 10,620/- (रू दस हजार छह सौ बीस मात्र) में 3 (तीन) स्टैंडी डिस्प्ले का क्रय, तीन विक्रेताओं से कोटेशन के बिना किये गए थे। कुल मूल्य रू 25000/- से कम होने के कारण इस प्रकार से बिना कोटेशन मंगाए क्रय का प्रावधान है। परन्तु इस स्थिति में निम्नलिखित प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी।

"मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूँ कि क्रय की गयी वस्तुएँ अपेक्षित गुणवत्ता और विशेष विवरण की हैं और एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से उचित मूल्य पर क्रय किए गए हैं।"

तथापि, इस मामले में उपरोक्त प्रमाण पत्र अनुपस्थित है।

फाईल सं. 36वीं आई.जी.सी./स्टोर/2018-19/06

इस मामले में हाउस कीपिंग और स्टेशनरी सामग्री का क्रय, जिनका मूल्य सामूहिक रूप से 43,445 रुपये था, क्रय आदेश को विभाजित करके किया गया था, हालांकि वस्तुएँ एक ही आपूर्तिकर्ता मेसर्स कॉमबिज सर्विसेज एवं मार्केटिंग से दिनांक 04.02.2019 के इनवायस सं. CBSM/18-19/174 एवं दिनांक 15.02.2019 के इनवायस सं. CBSM/18-19 /185 से क्रय की गयी थीं।

जेम पर एल-1 क्रय/ बोली/ रिवर्स नीलामी के द्वारा क्रय से बचने के लिए या कुल मांग के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में आवश्यक उच्च अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए सामग्री की मांग को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जाएगा– जी.एफ.आर. 149 (viii)

उपरोक्त क्रय हेतु एक क्रय समिति के गठन की आवश्यकता थी।

फाईल सं. 36वीं आई.जी.सी./प्रिंटिग कार्य /2018-19/03

1000 सरकारी पत्र शीर्षों को रुपये 3920/- (रू तीन हजार नौ सौ मात्र) की कीमत पर मेसर्स मेघा एंटरप्राइजेज से मुद्रित किए गए थे। यद्यपि बिना कोटेशन मंगाए क्रय की अनुमति है, लेकिन इस मामले में निम्नलिखित प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी।

"मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हूँ कि क्रय की गयी वस्तुएँ अपेक्षित गुणवत्ता और विशेष विवरण की हैं और एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता से उचित मूल्य पर क्रय किए गए हैं।"

तथापि, इस मामले में उपरोक्त प्रमाण पत्र अनुपस्थित है।

7. सोसाइटी द्वारा 4158 रुपये के जीएसटी पर टी.डी.एस. के बिलंब से भुगतान पर ब्याज प्रदान और भुगतान नहीं किया गया है।

8. वित्त वर्ष 2018-19 में सोसाइटी के पास GSTIN 07AAAAZ2268A1ZP है। मगर, संस्था द्वारा आज तक कोई जी.एस.टी. रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। विभाग द्वारा सोसाइटी पर जी.एस.टी. रिटर्न न भरने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए आकस्मिक देयता का खुलासा किया जाना चाहिए।

9. सोसाइटी द्वारा दायर टी.डी.एस. रिटर्न में आंकड़े बहीखाता के आंकड़ों से मेल नहीं हो रहे हैं। इसे देखते हुए, टी.डी.एस. रिटर्न को संशोधित करने की आवश्यकता है।

भवदीया,
कृते ऐ.के.जी. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ताक्षर
सी.ए. श्रुति गुप्ता
सहभागी
एम.सं. 401918

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस (आई.जी.सी.) पता: सी-II, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड, नई दिल्ली – 110062 दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का बैलेंस शीट			
		राशि (रू)	राशि (रू)
विवरण	नोट	31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति अनुसार
पूँजीगत निधि एवं देयताएं			
सोसाइटी कोष / **पूँजीगत निधि**	1	56,745,868	11,793,937
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	2	4,808,055	653,461
कुल		**61,553,923**	**12,447,398**
परिसंपत्तियाँ			
स्थायी परिसंपत्तियाँ	3	160,508	24,353
वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	4	61,393,415	12,423,045
कुल		**61,553,923**	**12,447,398**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों पर नोट	11, 12		

हस्ताक्षर
शम्भू नाथ भगत
कोषाध्यक्ष

हस्ताक्षर
डॉ. रसिक रवीन्द्र
महासचिव

हमारी संलग्नित समतिथि रिपोर्ट
के अनुसार
कृते ए.के.जी. एवं एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन. सं. 002688एन

स्थान- दिल्ली
दिनांक – 05.12.2019

हस्ताक्षर
सी.ए. श्रुति गुप्ता
सहभागी
एम.सं. 401918

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस (आई.जी.सी.) पता: सी-II, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड, नई दिल्ली – 110062 दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष हेतु आय व व्यय का लेखा			
		राशि (रू)	राशि (रू)
विवरण	**नोट**	**2018-19**	**2017-18**
आय			
एफ.डी.आर. पर ब्याज		-	909,585
अग्रिम पर ब्याज		-	9,693
कुल राजस्व		**-**	**919,278**
व्यय			
फील्ड कार्यों हेतु वित्तीय सहायता/ वित्तीय सहायता	5	11,096,248	226,187
आउटरीच कार्यक्रम एवं प्रचार गतिविधियां	6	6,022,558	2,004,278
आयोजन संबंधी व्यय		39,256,331	-
प्रचार संबंधी व्यय – 35वीं आई.जी.सी. के दौरान	7	-	2,240,304
प्रशासनिक व्यय/ सचिवालयी प्रशासन व अवसंरचना	8	6,886,267	4,858,396
सलाहकार/पी.सी.ओ. का पारिश्रमिक		-	118,000
जियो होस्ट		47,571	-
प्रारंभिक कार्यकलापों पर विविध व्यय	9	46,013	24,036
परिवहन	10	1,179,975	-
मूल्यह्रास	3	16,885	4,297
व्यय का योग		**64,551,848**	**9,475,498**
आय पर व्यय की अधिकता		(64,551,848)	(8,556,220)
योग: आयकर प्रतिदाय		41,650	-
		(64,510,198)	(8,556,220)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों पर नोट	11,12		

हस्ताक्षर
शम्भू नाथ भगत
कोषाध्यक्ष

हस्ताक्षर
डॉ. रसिक रवीन्द्र
महासचिव

हमारी संलग्नित समतिथि रिपोर्ट के अनुसार
कृते ए.के.जी. एवं एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन. सं. 002688एन
हस्ताक्षर
सी.ए. श्रुति गुप्ता
सहभागी
एम.सं. 401918

स्थान- दिल्ली
दिनांक – 05.12.2019

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस (आई.जी.सी.)
पता: सी-II, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड, नई दिल्ली – 110062
दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष हेतु प्राप्ति का लेखा

(रू)

प्राप्ति	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	भुगतान	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
I. प्रारंभिक बैलेंस			**I. व्यय**		
क) बैंक बैलेंस			क) 35वीं आई.जी.सी. हेतु टी.ए./डी.ए.	-	4,217,145
(I) चालू खाते में	**21,159**	**10,324**	ख) प्रारंभिक कार्यकलापों पर विविध व्यय	46,013	1,133,690
(II) जमा खाते में	**12,030,332**	**22,600,300**	ग) आउटरीच व प्रचार कार्यक्रम	6,022,558	-
(III) चेक जारी लेकिन प्रस्तुत नहीं किए	**(3,612)**	**(2,404,670)**	घ) आयोजन संबंधित व्यय	39,256,331	-
ख) रोकड़ शेष			ङ:) जियोहोस्ट	47,571	-
			च) सचिवालय प्रशासन व अवसंरचना	-	557,469
II. प्राप्त अनुदान			छ) प्रशासनिक व्यय	6,172,065	-
क) खान मंत्रालय से अनुदान	61,100,000	-	ज) फील्ड कार्य हेतु वित्तीय सहायता	11,096,248	-
ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से अनुदान	50,000,000	-	झ) लेखा परीक्षण शुल्क एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शुल्क	-	93,948
			ञ) श्रमिक व्यय	-	476,203
			ट) परिवहन	1,179,975	1,150
III.ब्याज व प्राप्त आयकर वापसी			**II. वित्तीय प्रभार**		
क) बैंक जमा	1,065,539	818,553	क) बैंक प्रभार	43,947	9,667
ख) प्राप्त आयकर वापसी	42,690	-			
IV. अग्रिम वापसी	156,737	160,097	**III. स्थिर परिसंपत्तियों पर व्यय**		
			क) यांत्रिक तिजोरी	20,220	13,860
			ख) कैनन फोटोकॉपीयर	110,920	-
			ग) कंप्यूटर यू.पी.एस.	1,900	-
			घ). रेडिएटर	20,000	-
			IV. अन्य भुगतान		
			क) आयकर भुगतान	326,667	183,476
			ख) टी.डी.एस.	8,098	51,226
			ग) अग्रिम भुगतान	-	2,398,891
			V. अन्तिम बैलेंस		
			क) बैंक बैलेंस		
			(i) चालू खाते में	106,023	21,159
			(ii) जमा खाते में	59,952,637	12,030,332
			(iii) चेक जारी पर प्रस्तुत नहीं किये	-	(3,612)
			(iv) चेक प्राप्त पर प्रस्तुत नहीं किये	1,672	-
			ख) रोकड़ शेष	-	-
योग	**124,412,845**	**21,184,604**	**योग**	**124,412,845**	**21,184,604**

हस्ताक्षर
शम्भू नाथ भगत
कोषाध्यक्ष

हस्ताक्षर
डॉ. रसिक रवीन्द्र
महासचिव

हमारी संलग्नित समतिथि रिपोर्ट के अनुसार
कृते ए.के.जी. एवं एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन. सं. 002688एन

हस्ताक्षर
सी.ए. श्रुति गुप्ता
सहभागी
एम.सं. 401918

स्थान- दिल्ली
दिनांक – 05.12.2019

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस (आई.जी.सी.)
पता: सी-II, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड, नई दिल्ली – 110062

लेखा पर नोट

नोट 1. सोसायटी निधि (रू)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति अनुसार
वर्ष के प्रारम्भ में बैलेंस	1,17,93,937	2,03,50,157
योग करें: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	5,00,00,000	-
योग करें: खान मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	6,11,00,000	-
घटाएं: व्यय पर आय की अधिकता	(6,45,10,198)	(85,56,220)
घटाएं: अनुदान पर प्राप्त ब्याज	(16,37,871)	-
वर्ष के अन्त में बैलेंस	**5,67,45,868**	**1,17,93,937**

नोट 2. वर्तमान देयताएं और प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति अनुसार
(क) वर्तमान देयताएं		
(1) देय व्यय		
(क) श्रम प्रभार देय	-	85,937
(ख) व्यावसायिक शुल्क देय	-	18,290
(ग) बैठक व्यय देय	-	39,000
(घ) प्रचार व्यय देय	-	1, 000
(ड.) मुद्रण और प्रकाशन व्यय देय	-	13,147
(च) यात्रा व्यय देय	2,12,437	58,674.00
(2) वैधानिक दायित्व		
(क) टी.डी.एस. देय	8,636	8,098
(ख) जी.एस.टी. टी.डी.एस.2%	6,41,730	-
(3). ब्याज की देयता		
(क) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अनुदान से प्राप्त ब्याज	9,22,334	-
(ख) खान मंत्रालय अनुदान से प्राप्त ब्याज	28,96,770	-
(4) अन्य वर्तमान देयताएं	24,780	
योग (क)	**47,06,687**	**2,24,146**

(ख) प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति अनुसार
(क) लेखापरीक्षा शुल्क देय	77,868	77,868
(ख) लेखांकन शुल्क देय	23,500	24,780
(ग) आयकर के लिए प्रावधान	-	3,26,667
योग (ख)	**1,01,368**	**4,29,315**
योग (क+ख)	**48,08,055**	**6,53,461**

नोट 4. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम		(रू)
विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति अनुसार
(क) वर्तमान संपत्तियां		
(1) रोकड़ शेष		
(क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
बैंक खाता	-	21,159
भारतीय स्टेट बैंक 36798	8,749	-
एम.ओ.ई.एस. स्वीट एफ.डी. 89796	3,14,17,314	-
भारतीय स्टेट बैंक 67531	40,069	-
भारतीय स्टेट बैंक 69524	57,205	-
स्वीप एफ.डी.	-	1,20,30,332
स्वीप एफ.डी. 38036121150	2,62,000	-
स्वीप एफ.डी. 38350718781	2,31,358	-
स्वीप एफ.डी. 38179700326	2,80,41,965	-
चेक जारी पर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये	1,672.00	(3612)
योग (क)	**6,00,60,332**	**1,20,47,879**
(ख) ऋण एवं अग्रिम		
(क) **आऊटरीच कार्यक्रम व फील्ड प्रदर्शन हेतु अग्रिम**	**-**	
(क) बी.एस.एस. त्रिवेन्द्रम हेतु अग्रिम	**-**	2,10,247
(ख) डॉ. स्निग्धा घटक, निदेशक को अग्रिम	**-**	68,000
(2) अन्य		
(क) इम्प्रेस्ट खाता	-	5,887
(ख) प्राप्य टी.डी.एस.	2,18,429	91,032
(ग) उपार्जित ब्याज जो कि अभी प्राप्त नहीं हुआ	11,14,654	-
योग (ख)	**13,33,083**	**3,75,166**
योग (क+ख)	**6,13,93,415**	**1,24,23,045**

नोट 5: फील्ड कार्यकलापों गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता/वित्तीय सहायता		
विवरण	**31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार**	**31 मार्च 2018 की स्थिति अनुसार**
आवास संबंधी व्यय	-	93,911
प्रतिदिन भत्ता	-	43,551
पंजीकरण शुल्क	-	45,289
यात्रा व्यय	-	43,436
वित्तीय सहायता	1,10,96,248	-
योग	**1,10,96,248**	**2,26,187**

नोट 6: आयोजन संबंधी व्यय		
विवरण	**31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार**	**31 मार्च 2018 की स्थिति अनुसार**
आर.एफ.पी. हेतु परामर्श शुल्क	70,800	-
आयोजन प्रबंधन सेवा	3,91,85,531	-
योग	**3,92,56,331**	**-**

नोट 7. प्रचार पर व्यय - 35 वीं आई.जी.सी. के दौरान		(रू)
विवरण	**31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार**	**31 मार्च 2018 की स्थिति अनुसार**
सम्मेलन आयोजन व्यय		21,03,058
प्रचार व्यय		1,37,246
योग	-	**22,40,304**

नोट 8. प्रशासनिक व्यय/ सचिवीय प्रशासन एवं संरचना		
विवरण	**31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार**	**31 मार्च 2018 की स्थिति अनुसार**
कूरियर व्यय	23,363	578
वेबसाइट का रखरखाव	98,664	-
लेखन सामग्री	45,880	-
मानदेय	4,500	-
श्रमिक व्यय	-	5,39,995
कानूनी और व्यावसायिक सेवा व्यय	16,38,362	26,642
कार्यालय संबंधी व्यय	2,54,026	1,24,169
मरम्मत एवं रखरखाव	-	53,850
लेखांकन व्यय	23,500	49,280
विज्ञापन	-	24,263
लेखा परीक्षण	77,868	1,55,736
बैंक शुल्क	43,947	9,667
मुद्रण, प्रकाशन और डिजाइनिंग	3,73,562	1,16,333
आयकर	-	5,82,018
आयकर पर ब्याज	-	45,944
इंटरनेट रखरखाव पर व्यय	3,42,600	3,19,816
सॉफ्टवेयर संबंधी व्यय	-	16,200
सिटिंग शुल्क	16,000	-
टैक्सी सेवा	-	2,40,098
यात्रा संबंधी व्यय	37,94,650	2,18,731
पेयजल व्यय	400	4,440
एफटीसी कार्यशाला के लिए आवास पर व्यय	-	94,470
एफटीसी पर व्यय	-	4,02,163
एफटीसी में कार्यशाला के लिए मध्याह्न भोजन पर व्यय	-	2,91,358
बैठकों पर व्यय	1,03,540	11,71,574
एफटीसी कार्यशाला के लिए फोटोग्राफी पर व्यय	-	5,000
एफटीसी कार्यशाला के लिए यात्रा भत्ता व्यय	-	2,76,062
एफटीसी कार्यशाला के लिए टैक्सी सेवा पर व्यय	-	32,236
टेलिफोन व्यय	45,405	57,473
योग	**68,86,267**	**48,58,396**

नोट 9. प्रारंभिक कार्यकलापों पर विविध व्यय		(रू)
विवरण	**31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार**	**31 मार्च 2018 की स्थिति अनुसार**
लीगेसी बैठक	-	12,030
सिटिंग शुल्क	-	12,000
आयकर पर ब्याज	33,100	-
टी.डी.एस. पर ब्याज	34	-
कमी और अधिकता	9	6
विविध व्यय	4,920	-
आयकर पर दंड	5,000	-
कीट नाश	2,950	-
योग	**46,013**	**24,036**

नोट 10. परिवहन		
विवरण	**31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार**	**31 मार्च 2018 की स्थिति अनुसार**
टैक्सी सेवा	11,72,147	-
टोल टैक्स	7,828,	-
योग	**11,79,975**	-

हस्ताक्षर
शम्भू नाथ भगत
कोषाध्यक्ष

हस्ताक्षर
डॉ. रसिक रवीन्द्र
महासचिव

36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस (आई.जी.सी.)
पता: सी-।।, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड, नई दिल्ली – 110062
नोट्स– लेखा का भाग
31-03-2019 तक
आयकर अधिनियम के अनुसार स्थिर परिसंपत्ति अनुसूची

(रू)

क्र.सं.	मूर्त संपत्तियां	मूल्यह्रास की दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास	निवल ब्लॉक	
			01/04/2018 को डब्लु.डी.वी.	30/09/2018 तक वृद्धियां	30/09/2018 के पश्चात वृद्धियां	31/03/2018 तक कटौती	मार्च 2017 को कुल लागत	अवधि के लिए	31/03/2019 को	31/03/2018 को
1	मोबाइल फोन	15 प्रतिशत	12,572				12,572	1,886	10,686	12,572
2	एच.पी. लेजर	15 प्रतिशत	11,781				11,781	1,767	10,014	11,781
3	गोदरेज यांत्रिक तिजोरी	15 प्रतिशत	-	20,220			20,220	3,033	17,187	-
4	कैनन फोटोकॉपी मशीन	15 प्रतिशत	-	-	1,10,920		1,10,920	8,319	1,02,601	-
5	कंप्यूटर यू.पी.एस.	40 प्रतिशत	-	-	1,900		1,900	380	1,520	-
6	रेडिएटर	15 प्रतिशत	-	-	20,000		20,000	1,500	18,500	-
	योग		**24,353**	**20,220**	**1,32,820**	**-**	**1,77,393**	**16,885**	**1,60,508**	**24,353**
	पिछला		14,790.00	13,860.00	-	-	28,650.00	4,297.00	24,353.00	

हस्ताक्षर
शम्भू नाथ भगत
कोषाध्यक्ष

हस्ताक्षर
डॉ. रसिक रवीन्द्र
महासचिव

नोट 11: व्याख्यात्मक जानकारी, महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

पृष्ठभूमि

अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस (आई.जी.सी.) पृथ्वी विज्ञान की प्रगति के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक मंच है। 1878 में फ्रांस में एकत्रित आई.जी.सी. के प्रथम सत्र का एक उद्देश्य वैश्विक भूवैज्ञानिक समुदाय को एक नियमित अंतराल पर बैठक करने के लिए एक संगठनात्मक तंत्र के निर्माण का अवसर प्रदान करना था। इसने एक ऐसे भ्रातृत्व सहयोग के भावना की परिकल्पना की, जो सीमाओं व भाषाओं के परे है तथा महाद्वीपों और महासागरों के पार भूवैज्ञानिक समुदाय को एक साथ लाने की क्षमता रखती है। एक गैर-लाभकारी वैज्ञानिक और शैक्षिक संगठन के रूप में वर्ष 1878 में स्थापित आई.जी.सी. वर्ष 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस (आई.यू.जी.एस.) के तत्वावधान में आया था। तब से आई.जी.सी. की बैठकें, आई.यू.जी.एस. के सहयोग और वैज्ञानिक प्रायोजन के तहत आयोजित की जाती है (http://www.iugs.org)

आई.जी.सी. की स्थापना के बाद से, 3-5 वर्षों के अंतराल पर दुनिया भर में 24 देशों द्वारा 33 काँग्रेस सत्रों की मेजबानी की गई। आई.जी.सी. का 34वां सत्र अगस्त 2012 के दौरान ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था (http://www.34igc.org) 35वीं आई.जी.सी. 2016 में केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गयी थी (http://www.35igc.org) तथा 2020 में 36वीं आई.जी.सी. 02-08 मार्च 2020 के मध्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.), भारत में आयोजित किया जाना है (http://www.36igc.org)

इन वर्षों में, आई.जी.सी. यथार्थ में एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है। प्रथम आई.जी.सी. में केवल 22 देशों के 312 प्रतिभागी थे जिन्होंने 41 शोध पत्रों का योगदान दिया था। 2008 में ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित 33वें आई.जी.सी. में 113 देशों के 6260 प्रतिभागी थे। इस आई.जी.सी.में 4200 मौखिक प्रस्तुतियाँ थीं, जो जियोस्फीयर - क्रायोस्फीयर-हाइड्रॉस्फियर-एटमॉस्फियरके पूर्ण विस्तार को आच्छादित करती थीं।

भारत में 36वीं आई.जी.सी.

भारत को 1964 में नई दिल्ली में आई.जी.सी.के 22वें सत्र के आयोजन का सुअवसर प्राप्त हुआ। यह एशिया का पहला आई.जी.सी. था। इस प्रकार, आई.जी.सी. 56 साल के अंतराल के बाद अर्थात मार्च 2020 में भारतीय उपमहाद्वीप में लौट रहा है। भारत ने इसके सह-मेजबान पड़ोसी देशों, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ मिलकर दिनांक 2-8 मार्च, 2020 के मध्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.), दिल्ली में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक काँग्रेस (आई.जी.सी.) की मेजबानी करने के लिए बोली जीती थी।

36वीं आई.जी.सी., खान मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सक्रिय समर्थन एवं बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों के समर्थन के साथ इस सम्मेलन के आयोजन हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक नोडल एजेंसी है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत एवं भारतीय उप-महाद्वीप के सभी भूवैज्ञानिक संगठनों, संस्थानों व भूवैज्ञानिकों के समर्थन और सहयोग की परिकल्पना करता है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(क) लेखांकन परंपरा

एएस-1, लेखा मानक के लिए आवश्यक है कि सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों के साथ उद्घाटित किया जाए। जबकि यह उपार्जन आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुशंसा करता है, हालांकि उन संस्थाओं जो निकाय नहीं हैं, के लिए यह अनिवार्य नहीं है जब तक उसे पर्याप्त रूप से प्रकट नहीं किया जाता है।

वित्तीय विवरणों को, लेखांकन नीतियों के अनुसार ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत, अर्जित आधार पर तैयार किया गया है।

(ख) अनुमान का उपयोग

अनुमानों और मान्यताओं को प्रभावित करने वाली लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी वित्तीय विवरणों की तिथि को सन्निहित संपत्ति और देनदारियों की राशि, आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों को प्रकट करती है। वास्तविक परिणाम अनुमान से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में वर्तमान और भविष्य में कोई भी संशोधन संभावित है। आकस्मिकता तब रिकॉर्ड की जाती है जब यह संभव है कि एक देयता होगी, और राशि का अनुमान लगाया जा सकता है।

(ग) नियत परिसंपत्तियाँ एवं मूल्यह्रास

(i) नियत संपत्ति अधिग्रहण की लागत के रूप में बताई गई है। अधिग्रहण की लागत भाड़ा, शुल्कों, करों और अन्य आकस्मिक प्रभारों सहित है।

(घ) मूल्यह्रास

(i) नियत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास रीटेन डाउन वैल्यू विधि पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(ii) रुपये 5000 या कम लागत वाली संपत्ति पर मूल्यह्रास पूर्णत: दर्शाया गया है।

(ङ) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधान को तब मान्यता दी गई जब 36वीं आई.जी.सी. के पास पुरानी घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व है, जब यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह करना होगा और दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। एक संभावित दायित्व होने पर एक आकस्मिक दायित्व को मान्यता दी जाती है या एक वर्तमान दायित्व, जो कि हो सकता है लेकिन संभवतः नहीं होगा, संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

(च) स्थगित कर परिसंपत्ति/ देयता

करों की दर और कानूनों को देखते हुए या बैलेंश शीट की तिथि के अनुसार लागू किए जाने पर विचार करने वाली पुस्तक और कर योग्य लाभ के बीच कोई समय का अंतर नहीं है, अतएव कोई भी स्थगित कर संपत्ति/ देयता नहीं बनाई गई है।

(छ) लेनदारों और देनदारों के साथ संतुलन

वसूली योग्य अग्रिम एवं विविध लेनदारों के बैलेंस की पुष्टि की जानी है।

(ज) सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन

सरकारी अनुदानों का लेखांकन 'पूंजीगत दृष्टिकोण' के आधार पर किया गया है क्योंकि वे इसके कुल परिव्यय के लिए योगदान के माध्यम से दिए गये हैं एवं अनुदान से कोई पुनर्भुगतान अपेक्षित नहीं है। अतएव, अनुदान सीधे सोसाइटी निधि में जमा किया गया है।

(झ) निवेश के लिए लेखांकन

वर्तमान निवेशों के लिए वहन की राशि, लागत से कम तथा उचित मूल्य वाली है।

एफडी ए/सी नं 36212921129 के प्रारंभिक बैलेंस में रु 214078 के अंतर को एफडीआर (12030332-11816254) पर ब्याज के साथ समायोजित किया गया है।

नोट 12. लेखा के नोट्स

(क) लेखा परीक्षक पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक जो कि बहीखाता में दिया गया है, वह इस प्रकार है।

(रू)

विवरण	31.03.2019
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षण शुल्क	रू 77,868
योग	रू 77,868

उपरोक्त शुल्क में 18% जी.एस.टी. सम्मिलित है।

(ख) एम.एस.एम.ई. प्रयोज्यता

चूंकि एम.एस.एम.ई. इकाइयों का पता लगाने के लिए उचित रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, इसलिए लेखा में कोई ब्याज नहीं घटाया गया है।

(ग) आकस्मिक देयताएं:

(i) संस्था ने 15.07.2016 को सेवा कर संख्या प्राप्त की, लेकिन वर्ष के पहले छमाही के लिए कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया और दूसरी छमाही के लिए रिटर्न में शून्य दायर किया गया। सेवा कर विभाग से 18.12.2016 को मेल के माध्यम से सेवा कर रिटर्न नहीं भरने के लिए जुर्माने की मांग करते हेतु एक नोटिस प्राप्त किया गया था। सेवा कर रिटर्न नहीं दाखिल करने के लिए मांग पर रू 20,000 का भुगतान करना पड़ सकता है।

(ii) अस्थायी जी.एस.टी. नंबर के सक्रिय नहीं कराने के कारण, जी.एस.टी. पर समय से टी.डी.एस. नहीं जमा किया जा सका। रू 41458 रुपये के जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. के देर से भुगतान पर ब्याज देय होगा।

(घ) उपभोग्य सामग्रियों की सूची

सोसाइटी द्वारा के उपभोग्य सामग्री की सूची के मूल्यांकन के संबंध में कोई नीति अनुमोदित नहीं की गई है। हालांकि, यह संस्था द्वारा तय किया गया है कि 5000/- रुपये से कम मूल्य की वस्तुओं को उपभोग्य और परिणामी लेते हुए व्यय माना गया है। विगत वर्षों में सभी स्टेशनरी तथा उपभोग्य सामग्री को क्रय के समय ही ख़र्च के रूप में माना गया है।

(ङ) वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, साधारण स्थिति में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों का एक प्राप्ति मूल्य है, जो कम से कम बैलेंस शीट में दिखाए गए कुल राशि के बराबर है।

(च) कराधान

चूंकि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कोई आय नहीं है, अत: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(छ) राजस्व मान्यता

सोसाइटी द्वारा कोई आय अर्जित नहीं की गई है। एफ.डी.आर. और अग्रिम पर अर्जित ब्याज को आय नहीं माना गया है, क्योंकि यह अनुदानदाता संस्था को वापस किया जाना है।

खान मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले वर्षों में प्राप्त ब्याज को, जिसे आय के रूप मान्यता दी गयी थी, पुन: दायित्व के रूप में स्थापित कर दिया गया है।

(ज) मूल्यह्रास

मूल्यह्रास रिटेन डाउन वेल्यू आधार पर प्रदान किया गया

(झ) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक हुए, फिर से व्यवस्थित/ पुनर्व्यवस्थित कर दिए गए हैं।

(ञ) विदेशी मुद्रा में लेनदेन

विभिन्न आयोजनों में भाग लेने के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया है।

(ट) संबंधित पार्टी का खुलासा

संबंधित पार्टी के खुलासे पर लेखा मानक (एएस) -18 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा संबंधित पार्टी का नाम, जहां नियंत्रण मौजूद है और/ या जिनके साथ वर्ष के दौरान लेन-देन हुआ है, जिसकी पहचान एवं प्रमाणन प्रबंधन द्वारा किया गया है: वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ है।

(ठ) विक्रेताओं को दिए गए अनुबंधों के लिए सोसायटी ने डिपॉजिट लिया है। उन्हें लेखा बही में नहीं दर्शाया गया है। यह डिपॉजिट करारों के सफल समापन के बाद वापस किया जाना है। उक्त जमा राशि का विवरण निम्नवार है :

नाम	प्रकृति	राशि (रू)
(I) मैसर्स इंद्र डी. नारायण से दिनांक 08 .06.2017 को प्राप्त	अग्रिम धन ड्राफ्ट के रूप में जमा	25,000
(II) मैसर्स ऐ.के.जी. एसोसिएट्स से दिनांक 13.11.2017 को प्राप्त हुए	फिक्स्ड जमा के रूप में प्राप्त प्रदर्शन सुरक्षा	7,000
(III) मैसर्स लोटस एक्जिबिशन और मार्केटिंग सर्विसेज से दिनांक 04.09.2018 को प्राप्त	बैंक गारंटी के रूप प्राप्त निष्पादन सुरक्षा	23,600

(ड) 1 से 12 तक के संलग्न नोट्स 31.03.2019 की बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का अभिन्न हिस्सा है।

हस्ताक्षर
शम्भू नाथ भगत
कोषाध्यक्ष

हस्ताक्षर
डॉ. रसिक रवीन्द्र
महासचिव

हमारी संलग्नित समतिथि रिपोर्ट के अनुसार
कृते ए.के.जी. एवं एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.एन. सं. 002688एन

हस्ताक्षर
सी.ए. श्रुति गुप्ता
सहभागी
एम.सं. 401918

स्थान- दिल्ली
दिनांक – 05.12.2019

36वीं आईजीसी सचिवालय
सी-।।, पुष्पा भवन
मदनगीर रोड़, नई दिल्ली - 110062